कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री आगरा कम्प्यूटर ट्रेडर्स एसोसियेशन, 29 / 122, संजय पैलेस, आगरा।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**034 / 14, 03.06.2014**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री आगरा कम्प्यूटर ट्रेडर्स एसोसियेशन, 29 / 122, संजय पैलेस, आगरा द्वारा दिनांक 03.06.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न वस्तुओं पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है :-

a RAM (a printed circuit board, used in computer without which the computer do not work)

b. Hard Disk (a component on which all the information / data is recorded and stored or it can be called a media to store the date)

c. Pen Drive / External Hard Disk (a component which is attached to computer to record the information / date in other words it is also a media to store the date)

d. C.D. / D.V.D. Drives / Writers both internal & external (a component to read / write the C.D. / D.V.D. on which any recorded information is stored a device to read or write on the media)

e. Mother Board & Internal Card (printed circuit board used to process and convert the date)

f. CPU Processers (a component to process the stored date)

g. Key Board, Mouse, Scanners (the component to input the date into the computer to be stored or processed)

h. Printer / Display Monitor (the component used to take the output of the processed data)

i. S.M.P.S. (switching mode power supply system a component which converts the normal electricity into a current flow in manner to run the entire computer system)

j. Web Camera (a input device to capture the image to input the date in computer system)

2. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन, आगरा द्वारा पत्र संख्या-620, दिनांक 09.07.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में कर की दर पूछी गयी है उनके सम्बन्ध में सर्वश्री राम इन्फोटेक, शॉप नम्बर-1, प्रथम तल, आर-26, रेलवे कालोनी,

....2

सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद के द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-027 / 13 में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 29.11.2013 को पारित निर्णय में कर की दर स्पष्ट कर दी गयी है।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी सर्वश्री आगरा कम्प्यूटर ट्रेडर्स एसोसियेशन, 29 / 122, संजय पैलेस, आगरा एक एसोसियेशन है। इनके द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है और न ही ये किसी प्रकार से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं इसलिए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत person or dealer concerned न होने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्न पूछने के लिए यह एसोसियेशन पात्र नहीं है। अत: प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में उल्लिखित प्राविधानों से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो। प्रार्थी सर्वश्री आगरा कम्प्यूटर ट्रेडर्स एसोसियेशन, 29 / 122, संजय पैलेस, आगरा द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं। अत: उक्त एसोसियेशन प्रश्न पूछने के लिए पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी , कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाए।

दिनांक : 18 जुलाई, 2014

ह0 / 18.07.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।